(52)

<u>**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**</u>

समक्ष : **मनोज गोयल**

<u>अध्यक्ष</u>

प्रकरण कमांक निगरानी 109–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 205/निगरानी/2006–07.

कालूराम पिता उकीचन्द पाटीदार
निवासी ग्राम अलस्याखेड़ी
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ ....आवेदक

<u>**विरूद्ध**</u>

मनिया पिता भगला सिंगाड़
निवासी ग्राम अलस्याखेड़ी
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ ....अनावेदिका

श्री अजय श्रीवास्तवव, अभिभाषक, आवेदक
श्री यशपाल राठौर, अभिभाषक, अनावेदिका

<u>**:: आ दे श ::**</u>

(आज दिनांक 15/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद के समक्ष संहिता की धारा 170 (ख) के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि सर्वे कमांक 136 रकबा 0.567 हेक्टेयर उसके पिता द्वारा आवेदक के के पास 500/– रूपये में गिरवी रखी गई थी, और आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित झाबुआ में गिरवी रखवाकर स्वयं प्राप्त किया गया था । अनावेदिका के पिता को धोखे में रखकर प्रश्नाधीन भूमि की नीलामी बैंक से करवाई जाकर अपने नाम विकय प्रमाण पत्र प्राप्त कर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया गया है । प्रश्नाधीन भूमि का बाजार मूल्य 50,000/– रूपये है, और मात्र 1350/– में आवेदक द्वारा कय कर ली गई है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का आधिपत्य आवेदक से

अनावेदिका को दिलाया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 16–5–2005 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर, जिला झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 17–8–2006 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–9–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदिका को दिलाया जाना सुश्चित करने के निर्देश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त के समक्ष लगभग दस माह विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई थी, और अपर आयुक्त द्वारा समय–सीमा के बिन्दु का बिना निराकरण किये सीधे गुण–दोष पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा अपने आदेशों में समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि सहकारी बैंक द्वारा विधिवत नीलामी की गई है, और उसमें छल–कपट प्रतीत नहीं होती है, उसके बावजूद भी समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा अधिकार विहीन कार्यवाही की गई है ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों पर बिना विचार किये, और उनके समक्ष प्रस्तुत निगरानी रेस्ज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने के बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित करने में विधि की भूल की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30–9–1978 के विरूद्ध अपर आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही कर दिनांक 28–4–1983 को पारित आदेश अन्तिम हो चुका है, क्योंकि उसके विरूद्ध कोई निगरानी अथवा रिट याचिका अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 1984 आर.एन. 34, 2015 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 45 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा धोखे से अनावेदिका की रूपये 50,000/– मूल्य सम्पत्ति को मात्र रूपये 1350/– में बैंक से नीलामी में प्राप्त किया गया है, जो कि स्पष्टतः छल–कपटपूर्ण कार्यवाही है । इस स्थिति पर बिना ध्यान दिये अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया था, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा अवैधानिक समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये थे, इसलिए समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच किये मात्र बैंक नीलामी को आधार बनाकर अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो कि संहिता की धारा 165 के प्रावधानों का उल्लंघन है । अनुविभागीय अधिकारी का यह दायित्व था कि वे अनावेदिका की ओर से उठाये गये आधारों के संदर्भ में आवश्यक समुचित जांच कर निर्णय लेते । कलेक्टर द्वारा भी इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अवैधानिकता की गई है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में संहिता की धारा 165 के विभिन्न प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर के आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । जहां तक संहिता की धारा 170(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए संहिता की धारा 170(ए) में चली कार्यवाही का प्रश्न है, वह इस प्रकरण के निराकरण में बाधक नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर